

राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ~~अधिकारी लालपुरा~~

आदेश

14.4/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का ~~हिजेरिया~~
व भूअ.नि. वृत्त ~~तामडिया~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~चाकसू~~ / नायब
तहसीलदार ~~चाकसू~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~आनन्दरामपुरा~~ तहसील ~~चाकसू~~ व जिला ~~जयपुर~~
~~जयपुर~~ की जमाबंदी सम्वत् ~~2076-79~~ में खाता संख्या ~~7, B, 9, 11~~
~~जयपुर~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आनन्दरामपुरा	7, B, 9, 11	हरिप्रकाश हरिशंकर पुत्र राधेप्रसाद	हरिप्रकाश उर्फ हरिशंकर पुत्र राधेप्रसाद



लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, जयपुर।

दि 17.12.21

क्रमांक:- 21/12/21/3793

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील ~~चाकसू~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~हरिप्रकाश उर्फ हरिशंकर~~ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, जयपुर।